दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दो विभागों में से एक है।

विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की सूची–I के अंतर्गत आने वाले विषय निम्नलिखित हैं:

1. दान की गई सहायता सामग्री/आपूर्ति तथा ऐसी आपूर्ति के वितरण के लिए संबंधित मामलों के निःशुल्क (ड्यूटी–फ्री) आयात हेतु इंडो–यूएस, इंडो–यूके, इंडो–जर्मन, इंडो–स्विस एवं इंडो–स्वीडिश अनुबंध।

   निम्नलिखित विषय जो संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची–सूची–III के अंतर्गत आते है (जहां तक केवल विधिक संबंध है):

2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित सीमा को छोड़कर ।
3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–II–राज्य सूची अथवा सूची–III के अंतर्गत आते हैं, और जहां तक वे ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है।

   दिव्यांगजन और अनियोजनीय को सहायता; सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक एवं सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आवंटित सीमा को छोड़कर।
4. दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों में नोडल विभाग के रूप में कार्य करना

   टिप्पणी: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों की समग्र नीतियों के लिए, कार्यक्रमों की योजना एवं समन्वय हेतु नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और मानिटरिंग आदि का उत्तरदायित्व संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।
5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास और सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से विशिष्ट योजनाएं अर्थात, सहायक यंत्र एवं उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण एवं स्व–रोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं समझौता; दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
8. विभाग को आवंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।
9. चेरिटेबल एवं धार्मिक दान तथा विभाग को आवंटित विषयों से संबंधित स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन एवं विकास।
10. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34)।
11. दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)।
12. स्वलीनता (आटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)
13. भारतीय पुनर्वास परिषद।
14. दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त।
15. स्वलीनता (आटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु–दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास।
16. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम।
17. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर
18. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली।
19. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता।
20. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून।
21. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद।
22. अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई।
23. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक।
24. राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई।
25. भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।